(घ) गत दो वर्षों के दौरान देश में की गई बचतों की कुल धनराशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू बचतों में वर्ष 1992–93 में 140635 करोड़ रुपये से वर्ष 1993–94 में 158493 करोड़ रुपये तक 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अब तक किये गये अनेकों आर्थिक सुधार उपायों में शामिल, पूंजीगत बाजार में सुधार, निजी और नियमित कराधानों में कमी, धारा 80 एल के तहत 13,000 रुपये तक बचत प्रोत्साहन की वसूली करना और सावधि जमा राशियों पर उच्चतर सीमा की ब्याज दर में ऊर्ध्वमुखी समायोजन उपायों से बचतों के कुल स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना की जाती है ।

निधियों को भेजा जाना

6885. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :**

श्री आज मोहम्मद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत विदेशों में निधियां भेजे जाने को रोका जा सकता है ; और

(ख) ऐसे नियमों के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वित्तीय संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

6886. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वित्तीय संस्थाओं के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे का विज्ञापन दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में जारी सरकारी आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने सूचित किया है कि उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी. सी.) के लिये आरक्षण संबंधी संघ सरकार की 8–9–93 की हिदायतों के बाद कतिपय पदों की भर्ती के लिये विज्ञापन दिये थे जिनमें उनके लिये आरक्षण नहीं किया गया था क्योंकि हिदायतें उनके कार्यालय में समय पर प्राप्त नहीं हुई थीं । भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 8–9–93 के सरकारी आदेशों को शीघ्र के अनुरूप, ओबीसी के लिये आरक्षण देते हुये इन रिक्त स्थानों को पुनः विज्ञापित करने को कहा गया था । भारतीय रिजर्व बैंक ने ओबीसी के लिये आरक्षण देते हुये 23–11–94 को विज्ञापन दिया है । एल आई सी के मामले में 8–9–93 के बाद विज्ञापित सभी रिक्त स्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये कार्पोरेट कार्यालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित निर्देश जारी कर दिये हैं ।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अखिल भारत आधार पर की गई भर्ती के लिए संशोधित 200 प्वाइंट रोस्टर और राज्य/क्षेत्र-वार भर्ती के लिये पृथक 100 प्वाइंट रोस्टर बनाने को कहा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 8-9-93 के बाद भरे गये सभी रिक्त स्थानों के संबंध में ओबीसी के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले विशेष रोस्टर प्वाइंट सम्मिलित हैं।

International aid agencies in India

6887. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether many international aid agencies are having their establishments in India;

(b) if so, the names and addresses of such agencies;

(c) whether such agencies have to obtain the prior approval of Government of India; and

(d) whether any such agencies have been blacklisted or asked to close down their work and if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Revision of wages of officers of Nationalised Banks

6888. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) by when the wage revision of officers of Nationalised Banks will take place; and

(b) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Wage revision for officers traditionally takes place after wage revision of the award staff employees in the Banking industry. For the award staff employees, wage settlement has been signed on 14-2-95. Although negotiations between the Indian Banks' Association (IBA) representing the banks' managements, and the officers Associations in the banking industry are in progress, it may not be possible to lay down any time schedule for their finalisation.

Setting up of committees to monitor financial Institutions

6889. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have formed a committee to monitor the actions of financial institution in large private companies where they hold over 30 per cent of the equity;

(b) whether it is a fact that financial institutions have been exercising their power and control in a very aberant and personalised manner;

(c) what steps are proposed to ensure that financial institutions do not tamper with ethos of such companies;

(d) whether financial institutions are promoting integrity in such private sector companies; and

(e) whether Government have given primacy to integrity in such companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) No, Sir.

(b) to (e) Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that the financial institutions (FIs) do not normally interfere in day to day management of private sector units. FIs have evolved appropriate mechanism to maintain effective linkage with their borrowers. An important linkage with the borrowers is the appointment of